रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257791
CG-DL-E-09102024-257791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4005] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946
No. 4005] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4364(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनके हक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), अगले पांच वर्षों में युवाओं को चिन्हित कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) का संचालन कर रहा है,

और, योजना के अधीन, इंटर्नशिप में भाग लेने वाले युवाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को मंत्रालय द्वारा योजना के अनुसार मासिक भत्ते (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभ कहा गया है) के साथ एकमुश्त सहायता दी जाती है

और, योजना के कार्यान्वयन में भारत की समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय को उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि जब तक किसी व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता है, तब तक योजना के अंतर्गत लाभ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्

(i) स्थायी खाता संख्या कार्ड/ई-स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(ii) वैध भारतीय पासपोर्ट; या

(iii) राशन कार्ड/सार्वजनिक वितरण दुकान फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड; या

(iv) मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र, जिनके ब्यौरे भारत निर्वाचन आयोग अथवा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाते हैं; या

(v) सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा वर्गीकृत), जिस पर विधिवत मुहर लगी हो और जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों; या

(vi) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र; या

(vii) ड्राइविंग लाइसेंस:

परन्तु यह भी कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां चेहरे, फिंगर प्रिंट या आईरिस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा किया गया लाभार्थियों का प्रमाणीकरण खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) यदि चेहरे, उंगलियों के निशान या आईरिस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल, व्यवहार्य और स्वीकार्य नहीं है, तो यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण का प्रस्ताव किया जाएगा:

(ख) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमीट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड अथवा समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अंतर्गत लाभ वास्तविक आधार पत्र अथवा आधार पोलीविनाइल क्लोराइड कार्ड के आधार पर दिए जा सकते हैं जिनकी प्रामाणिकता का सत्यापन यूआईडीएआई द्वारा किया जा सकता है परन्तु यह कि आधार पत्र अथवा आधार पोलीविनाइल क्लोराइड कार्ड पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड और ऐप्स में उपलब्ध कराए

गए त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था के माध्यम से सत्यापित किया जा सके गूगल और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को मंत्रालय द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान किया जाएगा।

4. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी, -

(क) विफलता के मामले में किसी भी व्यक्ति को योजना के अधीन लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा-

i. प्रमाणीकरण से गुजरकर अपनी पहचान स्थापित करना; या

ii.आधार संख्या धारित होने का प्रमाण प्रस्तुत करना; या

iii. ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या समुनुदेशित नहीं की गई है, नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करें; और

(ख) ऐसे व्यक्ति को उसके जन्म प्रमाणपत्र और प्रमाण के रूप में दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके लाभ दिया जाएगा, जैसा कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट है; और

(ग) जहां लाभ खंड (ख) के अधीन उसके जन्म प्रमाणपत्र और दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर प्रमाण के रूप में दिया गया है, वहां उसे अभिलिखित करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा जिसका मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से पुनरीक्षण और लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने उचित लाभों से वंचित न हो, मंत्रालय मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीएसआर-13/26/2024]

अनुराधा ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024.

S.O. 4364(E).—WHEREAS, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

AND WHEREAS, the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as the Ministry), in the Government of India, is administering the Prime Minister's Internship Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective to provide internship opportunities to the youth in identified companies over the next five years,

AND WHEREAS, under the Scheme, one time assistance along with a monthly allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the youth participating in the internships (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Ministry as per the Scheme

AND WHEREAS, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) an individual desirous of availing the benefit under the Prime Minister's Internship Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment, provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual shall visit any

Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of the UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely: -

(a) Aadhaar enrolment identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely

(i) Permanent Account Number Card/e- Permanent Account Number Card; or

(ii) valid Indian Passport; or

(iii) ration card/Public Distribution Shop photograph card/e-Ration Card; or

(iv) voter identity card/e-Voter Identity Card, whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned; or

(v) passbook with photograph issued by a public sector bank (as categorised by Reserve Bank of India), duly stamped and signed; or

(vi) certificate of disability issued under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016); or

(vii) driving license:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where authentication of the beneficiaries done by biometric authentication through face, finger print or iris authentication fails due to poor biometrics or any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) in case the biometric authentication through face, fingerprints or iris authentication is not successful, feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered:

(b) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter or Aadhaar Polyvinyl Chloride card whose authenticity can be verified through the UIDAI provided quick response code printed on the Aadhaar letter or Aadhaar Polyvinyl Chloride card and the necessary arrangement of Quick Response code reader provided in apps store google and iPhone Operating System shall be provided at the convenient locations by the Ministry

4. Notwithstanding anything contained herein above, —

(a) no individual shall be denied benefit under the Scheme in case of failure—

i. to establish his identity by undergoing authentication; or

ii. furnishing proof of possession of Aadhaar number; or

iii. in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, produce an application for enrolment; and

(b) the benefit shall be given to such individual by verifying his identity on the basis of his birth certificate and any one of the documents as proof, as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b) on the basis of his birth certificate and any one of the documents as proof, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry.

5. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office memorandum of the Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. CSR-13/26/2024]

ANURADHA THAKUR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.09 23:07:19 +05'30'